बाशा तथा अन्य

बनाम

खैरुन्नेसा बीवी तथा अन्य

17 अगस्त, 1994

[के. रामास्वामी तथा एस.सी. अग्रवाल, न्यायमूर्तिगण]

मुस्लिम विधि—पैतृक संपत्ति—का विभाजन—कतिपय संपत्ति का मौखिक हिबा—वादी विभाजन विलेख के अधीन स्वामी के रूप में अपने स्वयं के अधिकार के अभिकथन में निर्बाध कब्जे तथा उपभोग में—1952 से वाद की तिथि तक उसके पास आधिपत्याधारित हक —1968 में हक की घोषणा हेतु वाद दाखिल—प्रतिवादियों ने जनवरी, 1968 में संपत्ति में अतिक्रमण किया—प्रतिकूल कब्जे का अभिवाक् मिथ्या पाया गया—प्रदत्त डिक्री विधिसंगत—सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908।

द्वितीय वादी तथा उसके भाई ने 4 दिसंबर, 1952 के विभाजन विलेख द्वारा संपत्तियों का विभाजन किया। तब से वे संपत्ति के कब्जे तथा उपभोग में रहे हैं। द्वितीय वादी ने मौखिक हिबा द्वारा कुछ संपत्ति प्रथम वादी को हस्तांतरित कर दी। जब अपीलकर्ताओं-प्रतिवादियों ने 6 जनवरी, 1968 को भूमि में अतिक्रमण करने का प्रयास किया, तब वादियों ने 4 जुलाई, 1968 को हक की घोषणा तथा कब्जे की पुनर्प्राप्ति हेतु वाद दाखिल किया। विचारण न्यायालय ने वाद को निरस्त कर दिया। अपील में, वाद डिक्री किया गया। उच्च न्यायालय ने डिक्री को उपधारित करते हुए द्वितीय अपील को निरस्त कर दिया।

विशेष अनुमति द्वारा अपील में यह तर्क किया गया कि संपत्ति अपीलकर्ताओं की है तथा संपत्ति के हक की घोषणा और कब्जा प्रदान किया जाना अवैध था।

अपील को निरस्त करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया : 1.1. वर्तमान वाद में, विभाजन विलेख में संपत्तियों का स्पष्ट वर्णन है, जो निर्विवाद रूप से पैतृक संपत्ति का भाग हैं। यह भी स्पष्ट वर्णन है कि उन्होंने

संपत्ति का विभाजन कर लिया था और तत्पश्चात संपत्तियाँ संबंधित पक्षकारों के कब्जे तथा उपभोग में बनी रहीं। वाद 4 जुलाई, 1968 को दाखिल किया गया था, जिस तिथि तक 16 वर्ष से अधिक व्यतीत हो चुके थे और वादी विभाजन विलेख के अधीन उसे प्राप्त करने के कारण स्वामी के रूप में अपने स्वयं के अधिकार के अभिकथन में निर्बाध कब्जे तथा उपभोग में बना रहा। फलस्वरूप, 1952 से वाद की तिथि तक उसके पास आधिपत्याधारित हक था। इस प्रकार प्रदान की गई हक की घोषणा स्पष्ट रूप से विधिसंगत है। अपीलकर्ताओं ने 6 जनवरी, 1968 को संपत्ति में अतिक्रमण किया। यह अभिकथन कि प्रतिकूल कब्जे द्वारा उन्हें हक प्राप्त हो गया था, मिथ्या पाया गया, क्योंकि अतिक्रमण पहली बार 6 जनवरी, 1968 को किया गया था और वाद 4 जुलाई, 1968 को दाखिल किया गया था। इन परिस्थितियों में, अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रदान की गई तथा उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई डिक्री पूर्णतः विधिसंगत है। [711-सी-एफ]

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 1979 की दीवानी अपील सं. 397

1977 की द्वितीय अपील सं. 1640 में मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 9.8.78 के निर्णय तथा आदेश से।

जी. विश्वनाथ अय्यर, दिलीप टंडन तथा पी.के. पिल्लै, अपीलकर्ताओं की ओर से।

ए.टी.एम. संपत तथा एस. बालाजी, उत्तरदाताओं की ओर से।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश प्रदत्त किया गया :

अपीलकर्ता प्रतिवादी हैं। एक मुर्तुजा हुसैन साहिब, द्वितीय वादी, तथा उनके भाई नवाब बाशा उर्फ सैयद बद्राजलामी हुसैन साहिब ने 4 दिसंबर, 1952 के विभाजन विलेख, प्रदर्श-ए-2, के अधीन संपत्तियों का विभाजन किया और पैतृक संपत्ति की मद सं. 1 तथा 2 सैयद मुर्तुजा हुसैन साहिब के हिस्से में आईं। विभाजन विलेख में निम्नवत् वर्णन है :—

> "संबंधित व्यक्ति को आवंटित संपत्तियों के हिस्से का उपभोग उनके द्वारा इस दिन से आगे निर्विवाद रूप से, उस पर पूर्ण हक तथा स्वतंत्रता के साथ,

पुत्र से पौत्र तक वंशानुगत रूप से तथा हिबा, विक्रय और अंतरण करने की शक्तियों के साथ किया जाएगा और एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की संपत्तियों के संबंध में कोई हक प्राप्त नहीं होगा।"

तब से वे संपत्ति के कब्जे तथा उपभोग में रहे हैं। द्वितीय वादी ने मौखिक हिबा द्वारा मद सं. 1 प्रथम वादी को प्रदान कर दी। जब अपीलकर्ताओं ने 6 जनवरी, 1968 को भूमि में अतिक्रमण करने का प्रयास किया, तब उत्तरदाताओं ने 4 जुलाई, 1968 को स्वत्व की घोषणा तथा कब्जे की पुनर्प्राप्ति हेतु वाद दाखिल किया। विचारण न्यायालय ने वाद को निरस्त कर दिया। अपील में, मदुरै के जिला न्यायाधीश ने 1975 की ए.एस. सं. 358 में दिनांक 7 जुलाई, 1977 के अपने निर्णय तथा डिक्री द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय तथा डिक्री को उलट दिया तथा वाद को डिक्री कर दिया। उच्च न्यायालय ने 1977 की एस.ए. सं. 1640 में दिनांक 9 अगस्त, 1978 के निर्णय तथा डिक्री द्वारा द्वितीय अपील को निरस्त कर दिया। इस प्रकार, विशेष अनुमति द्वारा यह अपील।

अपीलकर्ताओं के वरीय अधिवक्ता श्री जी. विश्वनाथ अय्यर द्वारा यह तर्क किया गया कि संपत्ति बेदरलाम साहिब की है तथा अपीलकर्ता, पंचम प्रतिवादी और प्रतिवादी सं. 3 तथा 4, बाबजान साहिब के पुत्र सैयद बदरलाम साहिब की पुत्रियाँ हैं। प्रतिवादी सं. 1 तथा 2, प्रतिवादी सं. 3 तथा 4 के पति हैं। संपत्ति बाबजान साहिब की थी और उत्तरदाताओं का संपत्ति पर कोई स्वत्व नहीं है, जब तक कि वे बाबजान के माध्यम से, जिसके बारे में संपत्ति का स्वामी होने का दावा किया गया है, स्वत्व स्थापित नहीं कर देते। संपत्ति के स्वत्व की घोषणा तथा कब्जा स्पष्ट रूप से अवैध है। हमें इस तर्क में कोई बल नहीं प्रतीत होता। यह देखा जाता है कि विभाजन विलेख, प्रदर्श-ए-2 में संपत्तियों का स्पष्ट वर्णन है, जो निर्विवाद रूप से पैतृक संपत्ति का भाग हैं। यह भी स्पष्ट वर्णन है कि उन्होंने संपत्ति का विभाजन कर लिया था और तत्पश्चात संपत्तियाँ संबंधित पक्षकारों के कब्जे तथा उपभोग में बनी रहीं। फलस्वरूप मुर्तुजा हुसैन साहिब को उनके हिस्से में आवंटित संपत्तियाँ प्राप्त हुईं। तत्पश्चात वे

कब्जे तथा उपभोग में बने रहे, जब तक कि उन्होंने अपनी पुत्री, प्रथम उत्तरदाता, को दिए गए हिबा द्वारा मद सं. 1 का कब्जा पृथक नहीं कर दिया तथा मद को उसके कब्जे में प्रदान नहीं कर दिया। निर्विवाद रूप से, वाद 4 जुलाई, 1968 को दाखिल किया गया था, जिस तिथि तक 16 वर्ष से अधिक व्यतीत हो चुके थे और वे विभाजन विलेख, प्रदर्श-ए-2 के अधीन उसे प्राप्त करने के कारण स्वामी के रूप में अपने स्वयं के अधिकार के अभिकथन में निर्बाध कब्जे तथा उपभोग में बने रहे। फलस्वरूप, 1952 से वाद की तिथि तक उनके पास आधिपत्याधारित स्वत्व था। इस प्रकार प्रदान की गई स्वत्व की घोषणा स्पष्ट रूप से विधिसंगत है। यह पाया गया है कि वे संपत्ति के कब्जे में थे तथा उसे पट्टे पर देकर आदि उसका उपभोग कर रहे थे। जिला न्यायाधीश द्वारा यह भी पाया गया और उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई कि अपीलकर्ताओं ने 6 जनवरी, 1968 को संपत्ति में अतिक्रमण किया था। अपीलकर्ताओं द्वारा ग्रहण किया गया प्रतिकूल कब्जे का अभिवाक् अस्वीकार कर दिया गया है। यह अभिकथन कि प्रतिकूल कब्जे द्वारा उन्हें स्वत्व प्राप्त हो गया था, मिथ्या पाया गया, क्योंकि विद्वान जिला न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय ने यह पाया कि अतिक्रमण पहली बार 6 जनवरी, 1968 को किया गया था और वाद 4 जुलाई, 1968 को दाखिल किया गया था। इसलिए, प्रतिकूल कब्जे का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। इन परिस्थितियों में, अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रदान की गई तथा उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई डिक्री पूर्णतः विधिसंगत है। यह किसी हस्तक्षेप की अपेक्षा नहीं करती है। तदनुसार, अपील निरस्त की जाती है। कोई व्यय नहीं।

ए.जी. अपील निरस्त की गई।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यावहारिक, कार्यालयीय, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।